हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
26.9.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील ..... वकील फरीकेन उपस्थित। ..... हेतु मय वाद! समय दिया जाकर पत्रावली ..... आईन्दा दिनांक 22.11.2024 को पेश हो।	
22.11.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील ..... वकील फरीकेन उपस्थित। ..... हेतु मय वाद! समय दिया जाकर पत्रावली ..... आईन्दा दिनांक 15.1.2025 को पेश हो।	
15.1.025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। SDO Sb. ..... होने के कारण पत्रावली वास्ते ..... हेतु दिनांक 27.02.2025 को पेश हो। रीडर	
27.02.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील पार्टी उपस्थित। वकील पार्टी द्वारा बहस का निवेदन किया गया। बहस सुनी गई। पार्टी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त रकबा के मौके एवं स्थिति की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया गया। पार्टी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त पार्टी के पक्ष में बनता साबित होता है। लिहाजा पार्टी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश खेत खसरा नम्बर 1192/241 रकबा 5.3700 हैक्टेयर, वाके रोही मुकदमात तसील श्रीडूंगरगढ़ में अस्थायी निषेधाज्ञा तामील ..... की यथास्थिति कायम रखी। आदेश आज दिनांक ..... लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। नोटिस निर्णय दफ्तर रजिस्टर में लेकर होकर ..... बन्द हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 12:22:15 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़